



2026:AHC:26627

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3430 / 2026

प्यारे लाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरुण कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

- कुछ तर्कों के उपरांत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
- तदनुसार, रिट याचिका प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"